बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

अपर समाहर्त्ताओं के साथ दिनांक–31.10.2014 को प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की अध्यक्षता में सम्पन्न विभागीय बैठक की कार्यवाही :–

सर्वप्रथम बैठक में उपस्थित सभी पदाधिकारियों का स्वागत किया गया।

आज दिनांक–31.10.2014 को प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की अध्यक्षता में अपर समाहर्त्ताओं के साथ विभागीय समीक्षात्मक परिचर्चा की गयी। आज की बैठक में अध्यक्ष, भूदान यज्ञ समिति, श्री शूभमूर्ति जी एवं नवगठित कोर कमिटि के संयोजक के श्री दिवाकर एवं अन्य सदस्य श्री कपिलेश्वर राम, डॉ0 अजय कुमार सिंह, बसंत कुमार चौधरी, किशोरी दास, प्रदीप प्रियदर्शी भी उपस्थित थे।

1. **भूदान–** सभी अपर समाहर्त्ताओं को निदेश दिया गया कि भूदान के तहत प्राप्त जमीन को पर्चाधारियों को दखल कब्जा दिलाने में आ रही कठिनाईयों को समाप्त करने हेतु गुलजारबाग प्रेस से नक्शा प्राप्त कर लें। साथ ही अपने जिलान्तर्गत सभी अंचाधिकारियों को प्रपत्र–1 एवं प्रपत्र–2 के सम्बन्ध में Motivation करने का निर्देश दिया गया। अरवल के अपर समाहर्त्ता जो नवम्बर, 2014 को सेवा निवृत्त हो रहें है के कार्यों की प्रशंसा प्रधान सचिव द्वारा किया गया। सुपौल के अपर समाहर्त्ता द्वारा बैठक में भाग नहीं लेने के सम्बन्ध में कारणपृच्छा करने का निदेश प्रधान सचिव द्वारा दिया गया।

(कार्रवाई–प्रशाखा पदा0 7 एवं सभी जिला)

2. **"अभियान बसेरा"** इस संबंध में पूर्व के बैठक में अपर समाहर्त्ताओं को निदेश दिया गया था कि जिन जिलों में अभी शत प्रतिशत उपलब्धि नहीं हुई है, उन जिलों में शीघ्रताशीघ्र सभी चिन्हित महादलित परिवारों को वास भूमि उपलब्ध करावें तथा विहित प्रपत्र में प्रतिवेदन On Line करें। समीक्षा के दौरान पाया गया कि प्रगति संतोषप्रद नहीं हैं।

जिन जिला में लक्ष्य की प्राप्ति शत प्रतिशत हुई है, उन्हें निदेश दिया गया कि नवम्बर माह में अभियान चला कर सर्वेक्षण पूरा करके सूची अद्यतन कर लें। मोतिहारी के अपर समाहर्त्ता द्वारा बताया गया कि 1345 ऐसे महादलित परिवार पाये गये हैं जिनके पास भूमि नहीं है। उन्हें निदेश दिया गया कि वर्त्तमान में आवंटित राशि का 75 प्रतिशत राशि

क्रय हेतु खर्च कर राशि की मांग की जाय। साथ ही प्रधान सचिव द्वारा सम्पर्क सड़क बनाने हेतु राशि उपलब्ध कराये जाने की सूचना दी गयी। समीक्षा में यह बात सामने आया कि वर्त्तमान विवरणी में भूदान का कॉलम नहीं है। विवरणी में इसे Add कर लेने का निदेश प्रधान सचिव द्वारा दिया गया।

(कार्रवाई–प्रशाखा पदा0 7 एवं सभी जिला)

3. **"ऑपरेशन भूमि दखल देहानी"** के संबंध में दिनांक–29.09.2014 की बैठक में सभी अपर समाहर्त्ताओं को विभागीय परिपत्र के अनुरूप निर्धारित समय–सीमा के अनुसार कार्रवाई करने का निदेश दिया गया था। साथ ही सभी को निदेश दिया गया था कि प्रपत्र–1 को भर कर जिला के Website पर डाल दिया जाय एवं जिन प्रखण्ड/पंचायत में बेदखली सर्वेक्षण हो गया है, वहाँ कैम्प का कार्यक्रम प्रारम्भ कर दी जाय। यह भी निदेश दिया गया था कि पंचायतवार कैम्प की सूचना का विस्तृत प्रचार–प्रसार किया जाय क्योंकि इस सर्वेक्षण एवं कैम्प का कार्य दिसम्बर 2014 तक पूरा करने का लक्ष्य सरकार द्वारा निर्धारित है। बैठक में समीक्षा के दौरान निम्नलिखित जिलावार सूचना प्राप्त हुई यथा–

क्र0	जिला का नाम	कुल अंचलों की संख्या	सुयोग्य श्रेणी के रैयतों की संख्या	जिन अंचलों में कार्य प्रारंभ की गयी	जिन पंचायतों में कार्य प्रारंभ की गयी	वेबसाइट प्रपत्र –1 में वेबसाइट की स्थिति	विशेष शिविर की आयोजन की तिथि का वेबसाइट में प्रकाशन की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8
1	अररिया	9	4258	9	52	नहीं	हाँ
2	अरवल	5	511	3	27	नहीं	नहीं
3	औरंगाबाद			10	190	नहीं	हाँ
4	कटिहार	16	217	04	45	82	नहीं
5	कैमूर	11	–	11	67	नहीं	नहीं
6	किशनगंज	07	2233	07	76	1401	हाँ
7	खगड़िया	07	9416	07	130	हाँ	नहीं
8	गया	24	–	24	–	हाँ	–
9	गोपालगंज	14	–	14	234	183 पंचायत	हाँ
10	जमुई	10	–	10	153	नहीं	नहीं
11	जहानाबाद	07	8749	07	93	93 पंचायत	नहीं

	दरभंगा	18	—	18	324	नहीं	नहीं
13	नवादा	14	—	14	187	177 पंचायत	नहीं
14	नालंदा	20	9781	20	249	17 पंचायत	हाँ
15	पटना	23	—	19	—	13 पंचायत	नहीं
16	पूर्णियाँ	14	8266	14	251	8266	नहीं
17	पू0 चम्पारण	27	—	27	405	नहीं	नहीं
18	प0 चम्पारण	18	—	18	103	नहीं	नहीं
19	बक्सर	11	—	11	142	हाँ	हाँ
20	बेगूसराय	18	—	18	97	नहीं	नहीं
21	बाँका	11	—	11	186	नहीं	नहीं
22	भागलपुर	16	—	—	242/112	नहीं	हाँ
23	भोजपुर	14	21816	228	—	हाँ	हाँ
24	मुंगेर	09	3653	101	—	नहीं	नहीं
25	मुजफ्फरपुर	16	—	383	—	नहीं	नहीं
26	मधेपुरा	13	3195	170	3195	3 अंचल	हाँ
27	मधुबनी	21	—	319	498	नहीं	नहीं
28	रोहतास	19	8864	11	246	हाँ	नहीं
29	लखीसराय	07	—	80	—	नहीं	नहीं
30	वैशाली	16	—	16	288/62	हाँ	नहीं
31	शेखपुरा	—	—	—	—	—	—
32	शिवहर	05	—	5	53	नहीं	नहीं
33	सुपौल	11	—	11	181	नहीं	नहीं
34	समस्तीपुर	20	—	281	—	नहीं	नहीं
35	सहरसा	10	—	10	151	8 अंचल अपलोड	नहीं
36	सारण	20	7264	20	323	278 प्राप्त	नहीं
37	सिवान						
38	सीतामढ़ी	17	13000	17	273	नहीं	नहीं

प्राप्त आँकड़ों पर असंतोष प्रकट करते हुए ऑपरेशन भूमि दखल–देहानी को ससमय पूरा करने का निदेश प्रधान सचिव द्वारा दिया गया।

(कार्यवाही प्रशाखा पदा0 8 एवं सभी जिला)

4. न्यायालीय मुकदमों का निष्पादन के संबंध में :– पूर्व में आयोजित बैठक में सभी अपर समाहर्त्ताओं को निदेश दिया गया था कि सभी रिपोर्ट को Online ही भेजा जाय। समीक्षा के दौरान पुनः पाया गया कि कुछ जिलों के द्वारा कोर्ट केस से संबंधित निष्पादित मामले को ऑन लाईन नहीं किया गया है। प्रधान सचिव द्वारा पुनः सभी अपर समाहर्त्ताओं को निदेश दिया गया कि जिन मामलों में प्रतिशपथ पत्र/कारण पृच्छा दायर करने हेतु लम्बित है, उन सभी मामलों में अविलम्ब प्रतिशपथ पत्र/कारण पृच्छा दायर करते हुये उसका ओथ नम्बर मुख्यालय को उपलब्ध कराया जाए, ताकि वैसे सभी मामलों को सूची से हटाया जा सके। विभाग के अंतर्गत 566 सी0डब्लू0जे0सी0 एवं 38 एम0जे0सी0 के मामले प्रतिशपथ पत्र/कारण पृच्छा दायर करने हेतु लम्बित है।

(कार्यवाही प्रशाखा पदा0 11 एवं सभी जिला)

5. विधान मंडलीय कार्य :– सभी अपर समाहर्त्ताओं को पुनः विधान सभा/विधान परिषद के लम्बित प्रश्न/आश्वासन/निवेदन तथा विधान सभा के शून्यकाल के लम्बित मामलों का निपटारा शीघ्र करने का निदेश दिया गया। इस हेतु सभी विभागीय प्रशाखा पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि जिनका उत्तर अब तक अप्राप्त है, उनका उत्तर प्राप्त करने हेतु पुनः स्मारित किया जाए।

(कार्रवाई–प्रशाखा पदा0 10 एवं सभी जिला)

6. सेवान्त लाभ :– सेवान्त लाभ से संबंधित प्रतिवेदन विहित प्रपत्र में उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है इस संबंध में पूर्व के बैठक में सभी अपर समाहर्त्ताओं को निदेशित किया गया था कि वे सेवान्त लाभ से संबंधित प्रतिवेदन विहित प्रपत्र में ऑन लाईन ससमय उपलब्ध करायें, कारण है कि वित्त विभाग, बिहार, पटना द्वारा इस संबंध में प्रत्येक माह समीक्षा की जाती है। पुनः विहित प्रपत्र में ऑन लाईन उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।

(कार्रवाई–प्रशाखा पदा0 4 एवं सभी जिला)

7. जनगणना :– पुनः सभी अपर समाहर्त्ताओं को जनगणना, 2011 के संचालन के क्रम में जो भी राशि उपलब्ध करायी गयी है, उसका उपयोगिता प्रमाण पत्र भेजने का निदेश दिया गया।

(कार्रवाई–प्रशाखा पदा0 4 एवं सभी जिला)

8. विभागीय कार्रवाई :– पुनः सभी अपर समाहर्त्ताओं को निदेशित किया गया कि उनके पास निगरानी से संबंधित जितने भी मामले में जिनमें उन्हें संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया है, वैसे सभी मामलों का निष्पादन त्वरित गति से करते हुये जांच प्रतिवेदन विभाग को अविलम्ब उपलब्ध कराये, जिससे कि विभाग उन सभी मामलों में सरकार का निर्णय प्राप्त कर सके।

(कार्रवाई–प्रशाखा पदा0 निगरानी कोषांग एवं सभी जिला)

बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग।

ज्ञापांक–10/सम0अ0स0 (बैठक)कार्यवाही–43/2014 356 (10) रा0, पटना–15, दिनांक–21-11-14

ई–मेल
फैक्स

प्रतिलिपि :– सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी समाहर्त्ता/माननीय मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के आप्त सचिव/सभी विभागीय पदाधिकारीगण/सभी प्रशाखा पदाधिकारीगण, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21/11/14

(उमेश सिंह)
सरकार के उप सचिव।